संख्या-23/2023/790/30-03-23-6बी/2014

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2023

विषय:- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में रिफ्लेक्टिव टेप लगवाये जाने हेतु कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में अनुमोदित धनराशि को अग्रिम रूप से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-479स0सु0/2023-09स0सु0/2018-22, दिनांक 13-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन के पत्र दिनांक 21-07-2022 द्वारा राजस्व मद के अन्तर्गत निर्गत धनराशि 1415.40 लाख की तालिका के क्रमांक-1 पर दी गयी मद सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में धनराशि रू0 88.88 लाख की सम्भावित बचत में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रेफ्लेक्टिव टेप लगवाये जाने हेतु रू0 62.00 लाख (रू0 बासठ लाख मात्र) को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में अग्रिम रूप से आहरित किये जाने की स्वीकृति नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का दायित्य आपका होगा।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-23/2023/790/30-3-23-6बी/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2023/790/30-03-23-6बी/2014

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2023

विषय:- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में रिफ्लेक्टिव टेप लगवाये जाने हेतु कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में अनुमोदित धनराशि को अग्रिम रूप से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-479स0सु0/2023-09स0सु0/2018-22, दिनांक 13-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन के पत्र दिनांक 21-07-2022 द्वारा राजस्व मद के अन्तर्गत निर्गत धनराशि 1415.40 लाख की तालिका के क्रमांक-1 पर दी गयी मद सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में धनराशि रू0 88.88 लाख की सम्भावित बचत में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रेफ्लेक्टिव टेप लगवाये जाने हेतु रू0 62.00 लाख (रू0 बासठ लाख मात्र) को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 03-12-2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में अग्रिम रूप से आहरित किये जाने की स्वीकृति नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का दायित्य आपका होगा।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-23/2023/790/30-3-23-6बी/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।